न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस

अपील सख्या 231/2022 (आरसीएमएस नं. 2022/00231)

अब्दुले खां पुत्र श्री सम्मी खां जाति मुसलमान निवासी चक एस.टी.बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ (राजस्थान) जरिये मुखत्यार आम देशराज पुत्र श्री मोहनलाल जाति अरोड़ा वार्ड नं. 17 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। (राजस्थान) --अपीलांट

बनाम

1. जोगेन्द्र सिह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी दौलतांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। (राजस्थान)
2. भारता } पिसरान पन्ना
3. बनशी }
4. हन्सा पुत्र श्री बनसी } जाति भाट निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्व)

--रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश व डिक्री दिनांक 28.01.2008
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
प्रकरण सं0 33/2007 अनवान सूबासिंह बनाम भारता वगैरा

उपस्थितिः--
श्री मोहन मुंजाल, अभिभाषक अपीलांट

<u>निर्णय</u> दिनांक 28.12.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिकारों की घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

काश्तकारी अधिनियम में एक वाद प्रस्तुत किया। जिसमें कथन किया, वादी ने जरिये पंजीयन शुदा बैयनामा दिनांक 13.06.1967 को वाके मौजा बड़ोपल तहसील सूरतगढ के खसरा नं. 132 मिलन 10 में से 5 बीघा कृषि भू प्रतिवादी नं. 1 भारता से व खसरा नं. 132 मिन 11 में से 10 बीघाकृषि भूम प्रतिवादी नं. 2 बनसी से एवं खसरा नं. 132 मिन 12 में से 10 बीघा कृषि भूम प्रतिवादी नं. 3 हंसा से इस प्रकार कुल 25 बीघा कृषि भूमि खरीदशुदा है जो खरीद की दिनांक से लगतार मुझ वादी के कब्जा कातश में चली आ रही है। वादी ने वाद पत्र में वर्णितानुसार भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है।

2. रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नही आया। अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी मौजा बड़ोपल हरचन्द पति के खसरा नं. 132/6/1 की 8 बीघा, खसरा नं. 76 की 18.10 बीघा व खसरा नं. 78 की 2.17 बीघा कुल 29.07 बीघा भूमि राजाराम पुत्र मंगलूराम व चेतराम पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी दौलतांवाली को आवंटित हुई थी जो उसने कब्जा काश्त के अनुसार दिनांक 30.07.1959 को नन्दराम पुत्र गोविन्दराम को व नन्दराम द्वारा दिनांक 13.05.1967 को रणजीत सिह को व रणजीत सिंह वगैरा ने दिनांक 13.05.1968 को मलसिह पुत्र सुल्तान सिह को बेचान कर दी। इसी क्रम में सुलतान सिह ने कुल 29.05 बीघा दिनांक 06.05.1975 को बेचान कर दी गई, जो नये किला नं. में फिट हुई। अपीलाण्ट ने तहसीलदार पीलीबंगा के समक्ष उक्त वर्णित अपनी खरीदशुदा भूमि की खातेदारी दिये जाने के लिए प्रकरण अन्तर्गत धारा 15एएए (2क) आरटीएक्ट अनवानी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अब्दुले खां बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण सं0 36 / 1998 प्रस्तुत किया जो प्रकरण दिनांक 28.01.1999 को खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक सनद जारी की गई थी। तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय व आदेश अन्तिम व बाध्यकारी है तथा कानूनन उक्त निर्णय व आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने श्री सूबा सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सं0 33 / 2007 कतई गलत रूप से स्वीकार कर श्री सूबासिह के पक्ष में निर्णय व डिक्री परित की है जिसके विरूद्ध अपीलण्ट ने पृथक से अपील अब्दुले खां बनाम जोगेन्द्रसिंह वगैर प्रस्तुत की हुई है। श्री सूबासिंह पुत्र पालसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्रकरण सं0 33 / 2007 के अभिकथनों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत कृषि भूमि 1955 से पूर्व की अर्थात प्रि–55 की है एवं प्री–55 की कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार आरटीएक्ट की धारा 15एएए (2क) के अन्तर्गत ही दिये जा सकते हैं। इसलिए राजस्थान काश्तकारी की धारा 88 के तहत प्रि–55 के खातेदारी अधिकार की घोषणा का वाद पोषणीय नहीं है। वर्णितानुसार चक 9 एस.टी.बी. के प. नं. 47 / 350 के किला नं. 21, 22 की 12 बिस्वा व 23 की 3 बिस्वा अर्थात कुल 1.15 बीघा भूमि अपीलाण्ट के स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमि है जिसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 33 / 2007 में पारित निर्णय व डिक्री से श्री सूबा सिंह को उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं।

4. सूबासिंह पुत्र पालसिंह जटसिख द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्रकरण सं0 33 / 2007 के अभिकथनों के अनुसार वर्णित कृषि भूमि राजाराम पुत्र मंगलू ने रेस्पोडेण्ट सं0 2 से 4 को तथा रेस्पो0 सं0 2 से 4 ने सूबासिह को बैय कर दी थी बावजूद इसके एकीकरण के दौरान यह भूमि सहवन से राजानाम के नाम दर्ज कर दी गई। प्रकरण में राजाराम या राजाराम के मुत्यु होने की दशा में उसके वारिसान आवश्यक पक्षकार थे अधीनस्थ न्यायालय ने आवश्यक पक्षकार संयोजित किये

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बिना चुनौतीधीन नर्णय व डिक्री पारित की है। सूबासिंह द्वारा वर्णित खरीदशुदा कृषि भूमि के चकबन्दी व किला बन्दी में तरमीम हुई कृषि भूमि का खसरा मिलान या अन्यथा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी पटवारी हल्का से तहसील से इस बाबत कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई।

5. अपीलाण्ट का प्रश्गनत भूमि पर निर्बाध गति से कब्जा चला आ रहा है। अपीलाण्ट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था। ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील अधिकारी * हनुमानगढ़ (राज.) *

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं चक 9 एस.टी.बी. के प. नं. 47 / 350 के किला नं. 21, 22 की 12 बिस्वा व 23 की 3 बिस्वा अर्थात 1.15 बीघा कृषि भूमि अपीलांट के स्वामित्व व कब्जा काश्त की भूमि होने के कारण अपीलाण्ट प्रकरण में एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्ुतत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया था जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा डिक्री किया गया है। बहस में आये तथ्यों के अनुसार अपीलाण्ट ने तहसीलदार पीलीबंगा के समक्ष उक्त वर्णित अपनी खरीदशुदा भूमि की खातेदारी दिये जाने के लिए प्रकरण अन्तर्गत धारा 15एएए (2क) आरटीएक्ट अनवानी अब्दुले खां बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण सं0 36 / 1998 प्रस्तुत किया जिसमें

Law

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दिनांक 28.01.1999 को खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 28.01.1999 को सनद जारी की गई थी। तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय व आदेश अन्तिम व बाध्यकारी है तथा कानूनन उक्त निर्णय व आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है। सूबासिंह पुत्र पालसिंह जटसिख द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्रकरण सं0 33/2007 के अभिकथनों के अनुसार वर्णित कृषि भूमि राजाराम पुत्र मंगलू ने रेस्पोडेण्ट सं0 2 से 4 को तथा रेस्पो0 सं0 2 से 4 ने सूबासिह को बैय कर दी थी परन्तु एकीकरण के दौरान यह भूमि सहवन से राजानाम के नाम दर्ज कर दी गई। प्रकरण में राजाराम या राजाराम के मुत्यु होने की दशा में उसके वारिसान आवश्यक पक्षकार थे अधीनस्थ न्यायालय ने आवश्क पक्षकार संयोजित किये बिना चुनौतीधीन नर्णय व डिक्री पारित की है। सूबासिंह द्वारा वर्णित खरीदशुदा कृषि भूमि के चकबन्दी व किला बन्दी में तरमीम हुई कृषि भूमि का खसरा मिलान या अन्यथा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी पटवारी हल्का से अथवा तहसील से इस बाबत कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। श्री सूबासिंह पुत्र पालसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्रकरण सं0 33/2007 के अभिकथनों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत कृषि भूमि 1955 से पूर्व की अर्थात प्रि–55 की है एवं प्री–55 की कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार आरटीएक्ट की धारा 15एएए (2क) के अन्तर्गत ही दिये जा सकते हैं। इसलिए राजस्थान काश्तकारी की धारा 88 के तहत प्रि–55 के खातेदारी अधिकार की घोषणा का वाद पोषणीय है अथवा नही इस बिन्दू पर भी विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जाना उचित है। अपीलाण्ट द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दूओं का किसी पक्ष द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2008 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

28/12/22

(करतार सिंह पूनियां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़